

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पेंशन निदेशालय,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**नियुक्ति अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक: 12 जून, 2018**

विषय:- श्री राकेश कुमार सिंह, से0नि0, पी0सी0एस0 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री राकेश कुमार सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 28-02-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राकेश कुमार सिंह के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक:-यथोक्त ।**

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री राकेश कुमार सिंह, से0नि0, पी0सी0एस0, पता-म0नं0-01/49, विक्रान्त खण्ड (प्रथम तल), गोमतीनगर, लखनऊ-226010 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या- 68 /2018/2249/दो-2-2018-28/2(13)/2018  
लखनउ: दिनांक: 12 जून, 2018

श्री राकेश कुमार सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 28-02-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

धनन्जय शुक्ल  
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- श्री राकेश कुमार सिंह, से0नि0, पी0सी0एस0, पता-म0नं0-01/49, विक्रान्त खण्ड (प्रथम तल), गोमतीनगर, लखनउ-226010 ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-68 /2018/2250/दो-2-2018-28/2(13)/2018  
लखनउ: दिनांक: 12 जून, 2018

संयुक्त सचिव,  
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),  
उ0प्र0 शासन।

श्री राकेश कुमार सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 28-02-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(धनन्जय शुक्ल)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री राकेश कुमार सिंह, से0नि0, पी0सी0एस0, पता-म0नं0-01/49, विक्रान्त खण्ड (प्रथम तल), गोमतीनगर, लखनउ-226010 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नियुक्ति अनुभाग-2**  
**संख्या-68 /2018/2251 /दो-2-2018-28/2(13)/2018**  
**लखनउ: दिनांक: 12 जून, 2018**  
**आदेश**

श्री राकेश कुमार सिंह, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-71027 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री राकेश कुमार सिंह, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-21/मिलान डायरी-37/30581, दिनांक 28-06-2017 के अनुसार वर्ष-2015-2016 तक कुल जमा धनराशि रू0-8,69,734/- (रू0-आठ लाख उनहत्तर हजार सात सौ चौतीस मात्र) जिसमें माह 3/16 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-7,82,760.06 अर्थात रू0-7,82,761.00 (रूपये सात लाख बयासी हजार सात सौ इकसठ मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री राकेश कुमार सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**धनन्जय शुक्ल**  
**संयुक्त सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, जालौन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री राकेश कुमार सिंह, पी0सी0एस0, तत्का0 अपर जिलाधिकारी (वि/रा), जालौन के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन ।
- 4- श्री राकेश कुमार सिंह, से0नि0, पी0सी0एस0, पता-म0नं0-01/49, विक्रान्त खण्ड (प्रथम तल), गोमतीनगर, लखनउ-226010
- 5- गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

**(राजेश प्रताप सिंह)**  
**उप सचिव।**

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।